

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 39]

रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 25 सितम्बर 2020—आश्विन 3, शक 1942

विषय—सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.—(क) (1) छत्तीसगढ़ विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) छत्तीसगढ़ अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 3 जून 2020

क्रमांक ई-1-5/2020/एक/2.—राज्य शासन एतद्वारा श्री टामन सिंह सोनवानी भा.प्र.से. (सी.जी.-2004) द्वारा स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 30-05-2020 के प्रकाश में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्त प्रसुविधाएं) नियम, 1958 के नियम-16(2) के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निर्धारित 90 दिवस की कालावधि में छूट प्रदान कर उन्हें अधिवार्षिकी आयु पूर्ण होने के पूर्व दिनांक 31-05-2020 (अपरान्ह) से सेवानिवृत्त करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमलप्रीत सिंह, सचिव.

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 26 अगस्त 2020

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्वारा चीफ कंट्रोलर ऑफ माइन्स, भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु क्रमांक-2 एवं पत्र दिनांक 21-09-2011 तथा भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 08-10-2014 एवं खनिज (परमाणु और हाइड्रोकार्बन ऊर्जा खनिजों से भिन्न) रियायत नियम, 2016 के नियम, 12 के अनुपालन में Differential Global Positioning System (डीजीपीएस) का उपयोग करते हुए खनिज कोयला को छोड़कर समस्त खनिजों के खनिज रियायतों के सीमाओं में Precise Boundary Pillar की स्थापना कर सर्वेक्षण करने के लिए नीचे तालिका के कॉलम नंबर-02 में दार्शित संस्थानों को अधिमाम्यता प्रदान करता है :—

क्र. (1)	एजेन्सी का नाम एवं पता (2)	अधिमान्यता का विवरण (3)
नवीन अधिमान्यता हेतु अनुशंसित एजेन्सी :—		
1.	मेसर्स इण्ड इन्फोटेक सर्विसेस, प्लॉट नं.-26, लेण्डर्स पार्क, रामदाशपेठ, नागपुर-440012 (महाराष्ट्र).	खनिज कोयला को छोड़कर राज्य में समस्त खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित DGPS Survey कार्य हेतु.
2.	मेसर्स ग्लोबल बिजनेस सॉल्यूसन, वेद आर्किड, तृतीय तल, 4-1-15/1, प्लाट नं.-134 नचराम मेन रोड, हैदराबाद-500076 (तेलंगाना).	
3.	मेसर्स इनजियोटेक कंसल्टेण्ट, 1338, प्रथम तल, विजय नगर, कचनार सिटी रोड, जबलपुर-482002 (मध्यप्रदेश).	
4.	मेसर्स एम.एन.ई.सी. कंसल्टेण्ट प्रा.लिमिटेड, प्रथम तल, “प्रतिचा संकुल,” धर्मपेठ, नागपुर (महाराष्ट्र).	
5.	मेसर्स सुमधुरा जियोमेटिका प्रा. लिमिटेड, रजि. ऑफिस-1-2-607/54/7, एबीएस कालोनी, डीबीआर मिल्स के पिछे, हैदराबाद-500080 (तेलंगाना).	
6.	मेसर्स जियोटैक्स इंटरनेशनल सर्विसेस, प्लाट नंबर -53, नीरा एक्सटेंशन, पार्थिवी नगर, हीरापुर रोड, रायपुर-492009 (छत्तीसगढ़).	
नवकरण हेतु अनुशंसित एजेन्सी :—		
7.	मेसर्स कम्प्यूटर प्लस (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कन्सल्टेन्सी) प्लाट नं. 4, सेक्टर-1, राजीव गांधी वार्ड, देवेन्द्र नगर, रायपुर. Email:info@cplus.in rajendra@cplus.in	

उपर्युक्त तालिका के सरल क्रमांक-07 मेसर्स कम्प्यूटर प्लस (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेन्सी) को विभागीय समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 29-10-2016 द्वारा 03 वर्ष की अवधि के लिये सशर्त प्रदान की गई अधिमाम्यता की अवधि दिनांक 28-10-2019 को समाप्त हो गई है. अतएव राज्य शासन, एतद्वारा मेसर्स कम्प्यूटर प्लस (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंसल्टेन्सी) की अधिमाम्यता का नवकरण दिनांक 29-10-2019 से आगामी 03 वर्ष के लिये नीचे उल्लिखित शर्तों के अधीन प्रदान करती है.

2. अधिमाम्यता प्राप्त संस्थानों के लिए निम्नानुसार शर्तें निर्धारित की गई हैं :—
- (1) Each corner of the lease area shall have a boundary pillar (corner pillar).
 - (2) There shall be erected intermediate boundary pillars between the corner pillars in such a way that each pillar is visible from the adjacent pillar located on either side of it;
 - (3) The distance between two adjacent pillars shall not be more than fifty meters;
 - (4) The pillar shall be of square pyramid frustum shaped above the surface and cuboid shaped below the surface;
 - (5) Each pillars shall be of reinforced cement concrete;

- (6) The corner Pillar shall have a base of 0.3m × 0.3m and height of 1.30m of which 0.70m shall be above ground level and 0.60m below the ground;
- (7) The intermediate pillars shall have a base of 0.25m × 0.25m and height of 1.0m of which 0.70m shall be above ground level and 0.30m below the ground;
- (8) All pillars shall be painted in yellow colour and the top ten centimeters in red colour by enamel paint and shall be grouted with cement concrete;
- (9) On all corner pillars, distance and being to the forward and backward pillars and latitude and longitude shall be marked ;
- (10) Each pillar shall have serial number in a clockwise direction and the number shall be engraved on the pillars;
- (11) The number of pillars shall be the numbers of the individual pillar upon the total number of pillars in the lease;
- (12) The tip of all the corner boundary pillars shall be a square of 15 centimeter on which a permanent circle of 10 centimeter diameter shall be drawn by paint or engraved and the actual boundary point shall be intersection of two diameters drawn at 90 degrees.
- (13) The lease boundary survey shall be accurate within such limits of error as the Control General, Indian Bureau of Mines may specify in this behalf;
- (14) The Location and number of the pillars shall also be shown in the surface and other plans maintained by the lessee; and
- (15) In case of forest area within the lease, the size and construction and colour of the boundary pillars shall be as per the norms specified by the Forest Department in this behalf.
- (16) The Survey Agency shall be responsible for the accuracy of the data collected during Survey.
- (17) Coordinates of boundary pillars shall be established in the World Geodetic System 1984 (WGS-84) Datum.
- (18) डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जायेगा. किसी भी प्रकार का आपसी विवाद होने पर राज्य शासन उत्तरदायी नहीं होगा.
- (19) डीजीपीएस सर्वे कार्य के गुणवत्ता में कमी पाये जाने पर या किसी भी प्रकार की कार्य संबंधी शिकायत पाये जाने पर जांच उपरांत राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि उक्त अधिकृत एजेंसी की मान्यता किसी भी समय समाप्त की जा सकती है.
- (20) डीजीपीएस सर्वे के संबंध में भारतीय खान ब्यूरो/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.
- (21) राज्य शासन द्वारा जारी यह अधिमान्यता 03 वर्ष के लिए होगी. समयावधि समाप्ति से 03 माह पूर्व अधिकृत एजेंसी नवीवीकरण हेतु आवेदन कर सकेगा.

3. यह अधिमान्यता/नवकरण अधिसूचना के जारी होने की तिथि से 03 वर्ष के लिए ही मान्य होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्वलगन पी. सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला-गरियाबंद (छत्तीसगढ़), एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन,
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/11/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन				प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	सांकरा प.ह.नं.-15	0.136	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.).	पाण्डुका - जतमई - घटरानी - गायडबरी - मडेली-मुडागांव मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 5 अगस्त 2020

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक/15/अ-82/वर्ष 2018-19.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम 2013 कहा जावेगा) की धारा 11 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन एतद्द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 के अंतर्गत दी गयी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची				धारा 12 के द्वारा	सार्वजनिक प्रयोजन
भूमि का वर्णन				प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
गरियाबंद	छुरा	गाडाघाट प.ह.नं.-15	0.432	परियोजना प्रबंधक, (ए.डी.बी. प्रोजेक्ट) लो.नि.वि. रायपुर (छ.ग.).	पाण्डुका - जतमई - घटरानी - गायडबरी - मडेली-मुडागांव मार्ग का उन्नयन एवं चौड़ीकरण कार्य हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
छतर सिंह डेहरे, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला गरियाबंद, छत्तीसगढ़
एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं
आपदा प्रबंधन विभाग

गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020

क्रमांक 2968/अ.वि.लि./भू-अर्जन/08 अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-बोरियाझर, प.ह.नं. 10
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.11 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.23
145	0.40
147	0.23
148	0.02
154	0.04
159	0.05
160	0.05
161	0.05
165	0.04
योग	1.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत नहर नाली निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020

क्रमांक 2970/अ.वि.लि./भू-अर्जन/07 अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
(ख) तहसील-छुरा
(ग) नगर/ग्राम-पथरी
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.12 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
153	0.12
योग	0.12

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020

क्रमांक 2972/अ.वि.लि./भू-अर्जन/06 अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
 (ख) तहसील-छुरा
 (ग) नगर/ग्राम-पथरी, प.ह.नं. 09
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.74 हेक्टेयर

खसरा नम्बर
 (1)

रकबा
 (हेक्टेयर में)
 (2)

153	0.50
154	0.82
156	1.22
177	0.20
178/2	0.75
179	0.11
180	0.51
182	0.80
183	0.92
187	0.92
456/1	0.30
456/2	0.30
456/3	0.31
457	1.00
461/1	1.50
461/2	0.26
461/3	0.09
461/4	0.23
575	0.18
577	1.14
578	0.61
580	0.05

योग 12.74

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेंगनाही डोंगर जलाशय योजना अंतर्गत शीर्ष निर्माण हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

क्रमांक 2974/अ.वि.लि./भू-अर्जन/अ-82/2017-18.—
 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-

- (क) जिला-गरियाबंद
 (ख) तहसील-छुरा
 (ग) नगर/ग्राम-करकरा
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.36 हेक्टेयर

खसरा नम्बर
 (1)

रकबा
 (हेक्टेयर में)
 (2)

37/2	0.04
43	0.01
44	0.15
63	0.05
64	0.02
66/1	0.10
66/2	0.18
84	0.02
85	0.01
86	0.11
110/1	0.04
110/2	0.06
112/1	0.02
112/2	0.05
116/1	0.03
117/4	0.01
117/6	0.02
117/7	0.05
117/8	0.01
117/9	0.01
117/10	0.01
117/11	0.01
117/12	0.01
117/13	0.05

(1)	(2)	गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020	
178	0.03	क्रमांक 2976/अ.वि.लि./भू-अर्जन/अ-82/2017-18.—	
179	0.05	चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	
184/2	0.10	अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में	
185	0.04	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि	
341/2	0.01	अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
221/4	0.05	का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,	
220	0.01	2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
186	0.04	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
228/2	0.08	है :—	
241	0.06	अनुसूची	
242/1	0.09	(1) भूमि का वर्णन—	
243/2	0.08	(क) जिला-गरियाबंद	
244	0.07	(ख) तहसील-छुरा	
335	0.01	(ग) नगर/ग्राम-रानीपरतेवा, प.ह.नं. 13	
338	0.01	(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.66 हेक्टेयर	
339/2	0.02	खसरा नम्बर	रकबा
340	0.02		(हेक्टेयर में)
341/1	0.02	(1)	(2)
342	0.05		
343	0.05	320/1	0.02
344/1	0.02	320/2	0.02
364	0.09	325	0.04
365	0.03	324/3	0.02
366	0.02	328	0.04
367	0.02	329	0.04
368	0.01	373/2	0.02
370/1	0.05	374	0.04
370/2	0.01	377	0.02
370/3	0.04	378	0.06
375	0.05	380	0.03
377/2	0.06	379/2	0.10
		418	0.02
		417	0.08
		426	0.12
योग	2.36	457	0.08
		467	0.02
		463	0.04
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेड़ी		464	0.08
जलाशय योजना अंतर्गत माईनर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु		465	0.08
भूमि अर्जन.		469	0.01
		470	0.04
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी		471	0.01
(रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.		474	0.02

(1)	(2)	(1)	(2)
473	0.04	14	0.09
478/2	0.20	16/2	0.04
324/4	0.02	19	0.41
478/1	0.20	21	0.30
487/1	0.01	22	0.09
820	0.02	25	0.17
912	0.06	27	0.27
913	0.06	29	0.21
		46	0.09
योग	1.66	47	0.05
		53	0.09
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेडी जलाशय योजना अंतर्गत माईनर नहर नाली निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.		54	0.12
		55	0.37
		56	0.23
		57	0.09
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.		62	0.09
		63	0.09
		95	0.04
		96	0.14
गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020		97	0.04
		98	0.09
		99	0.10
क्रमांक 2978/अ.वि.लि./भू-अर्जन/13 अ-82/2017-18.—		100/1	0.11
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—		106	0.17
		113	0.10
		115/1793	0.01
		116	0.04
		117	0.06
		121	0.08
		123	0.06
		124	0.02
		125	0.04
		126	0.09
		127	0.02
(1) भूमि का वर्णन—		129	0.02
(क) जिला-गरियाबंद		130	0.02
(ख) तहसील-छुरा		132	0.13
(ग) नगर/ग्राम-मडेली, प.ह.नं. 23		136	0.01
(घ) लगभग क्षेत्रफल-16.05 हेक्टेयर		137	0.04
		138	0.01
खसरा नम्बर	रकबा	231	0.18
	(हेक्टेयर में)	233	0.15
(1)	(2)	235/1	0.03
7	0.04	236	0.09
11/1	0.01	238	0.02
11/2	0.04	239	0.05
12	0.36	240	0.07

(1)	(2)	(1)	(2)
248	0.04	520	0.06
249	0.05	522	0.04
263	0.13	524	0.04
265	0.10	525	0.06
310	0.07	530	0.07
311	0.02	531	0.01
312	0.04	536	0.03
316	0.02	537/1	0.06
317	0.05	590	0.04
318/1	0.02	592	0.20
325	0.04	593	0.02
326	0.02	621	0.04
328	0.01	622	0.02
329/1	0.03	623	0.03
329/2	0.03	624	0.02
330	0.01	640	0.07
356	0.07	647	0.04
359	0.11	648	0.02
362	0.02	649	0.01
363	0.05	650	0.09
364	0.04	651	0.11
366	0.05	652	0.02
368	0.12	653	0.06
370	0.03	677	0.09
403	0.03	678	0.01
404	0.21	679	0.04
407	0.01	680	0.02
433	0.07	693	0.07
435	0.02	707	0.03
437	0.06	709	0.06
439	0.01	710	0.06
440	0.07	711	0.01
441	0.06	712	0.01
452	0.01	727	0.13
453	0.06	730	0.05
454	0.02	731	0.02
457	0.03	736	0.01
475	0.05	1043	0.02
476	0.08	1045	0.03
477	0.01	1052	0.04
481	0.01	1055	0.02
482	0.05	1057	0.02
483	0.07	1072	0.05
485/1	0.06	1073	0.06
486	0.05	1077/1	0.04
490	0.05	1077/2	0.04
496	0.02	1078	0.03

(1)	(2)	(1)	(2)
1079	0.01	1530	0.05
1115	0.06	1531/2	0.02
1124	0.09	1543	0.03
1203	0.02	1544	0.01
1204	0.02	1545	0.04
1205	0.13	1548	0.03
1222	0.04	1549	0.02
1302	0.16	1551	0.01
1303	0.05	1552	0.04
1304	0.16	1517	0.02
1309	0.12	1518	0.03
1310	0.09	1522, 1526	0.10
1320/2	0.08	1658	0.09
1321	0.35	1663	0.09
1322	0.12	1685/1	0.08
1323/2	0.01	1686	0.06
1323/3	0.03	1688	0.02
1324	0.23	1689	0.05
1325	0.02	1690	0.02
1326	0.05	1691	0.04
1327	0.05	1698	0.15
1336	0.02	1699	0.04
1337	0.18	1702	0.09
1338	0.09	1740	0.08
1346	0.13	1750	0.11
1360	0.27	1753	0.19
1361	0.23		
1362/2	0.03	योग	16.05
1367	0.27		
1368	0.02		
1370	0.14	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेडी	
1371	0.07	जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.	
1374	0.01		
1375	0.05	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी	
1379	0.02	(रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.	
1381/1	0.42		
1381/2	0.04		
1382	0.18	गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020	
1383	0.36		
1393	0.09		
1460/1	0.03	क्रमांक 2980/अ.वि.लि./भू-अर्जन/12 अ-82/2017-18.—	
1460/2	0.08	चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई	
1461	0.04	अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में	
1462/1	0.05	उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि	
1462/2	0.07	अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	
1527	0.02	का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम,	
1528	0.04	2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित	
1529	0.02	किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता	
		है :—	

अनुसूची		(1)	(2)
(1) भूमि का वर्णन-		676	0.02
(क) जिला-गरियाबंद		677	0.02
(ख) तहसील-छुरा		678	0.01
(ग) नगर/ग्राम-खड़मा, प.ह.नं. 14		684	0.08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-5.36 हेक्टेयर		695	0.03
		696/1	0.03
खसरा नम्बर	रकबा	716	0.04
	(हेक्टेयर में)	717	0.02
(1)	(2)	719	0.03
		723	0.04
265	0.04	724	0.05
271	0.02	726	0.08
312	0.06	762/1	0.10
313	0.14	762/2	0.10
323	0.02	769	0.03
324	0.02	770	0.07
325	0.02	776	0.05
348	0.09	777	0.03
349	0.18	778/1	0.06
356	0.07	778/2	0.03
401	0.11	778/3	0.06
416	0.02	803/1	0.05
427	0.08	803/2	0.05
430	0.08	804	0.09
433	0.10	825	0.03
464/1	0.07	826	0.04
464/2	0.15	832/1	0.13
467	0.03	832/2	0.05
469	0.01	847	0.06
470	0.01	867	0.07
471	0.05	871	0.06
472	0.06	872/1	0.05
473	0.11	872/4	0.04
477/5	0.01	875	0.06
478	0.09	885	0.05
480/2	0.02	886/1	0.05
623/1	0.05	887	0.04
623/2	0.05	888/1	0.08
623/3	0.05	888/3	0.12
625	0.02	889	0.09
626	0.05	898	0.04
627	0.05	899	0.03
628	0.08	920	0.06
629	0.05	921	0.06
630	0.03	924	0.01
638/1	0.10	958/3, 958/2	0.12
638/4	0.06	960	0.03
675	0.02		

(1)	(2)
961	0.05
962	0.02
965	0.02
418	0.20
531/2	0.05
538/1	0.07
538/3	0.06
692	0.04
693	0.04
योग	5.36

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेडी जलाशय योजना के मुख्य नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020

क्रमांक 2982/अ.वि.लि./भू-अर्जन/11 अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-कुरेकेरा, प.ह.नं. 14
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.25 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
179/1	0.02
179/2	0.02
181	0.05

(1)	(2)
182/1	0.02
182/2	0.03
183/5	0.05
183/7	0.08
187/1	0.03
188	0.08
207/1	0.04
207/2	0.04
211	0.08
275/1	0.06
275/2	0.05
308	0.08
310	0.19
311/1	0.15
311/2	0.10
312	0.08
योग	1.25

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेडी जलाशय योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु भूमि अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.

गरियाबंद, दिनांक 10 सितम्बर 2020

क्रमांक 2984/अ.वि.लि./भू-अर्जन/14 अ-82/2017-18.—
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (जिसे एतद् पश्चात् अधिनियम, 2013 कहा जायेगा) की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला-गरियाबंद
- (ख) तहसील-छुरा
- (ग) नगर/ग्राम-बिहावझोला, प.ह.नं. 23
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.46 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)	(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पीपरछेडी जलाशय योजना के नहर नाली निर्माण हेतु भूमि अर्जन.
(1)	(2)	(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), गरियाबंद के कार्यालय में किया जा सकता है.
49/2	0.18	
79/1	0.28	
योग	0.46	छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, छतर सिंह डेहरे, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड
बीज भवन, जी.ई.रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 24 अगस्त 2020

क्रमांक/बी-4/1/32(2)/भा.अधि./2020-21/2821.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बोर्ड/बी-8/भार.अधिकारी/10-11/7717 रायपुर दिनांक 21-02-2011 द्वारा श्री बालसिंह बघेल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कोण्डागांव को कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर जिला कोण्डागांव (छ.ग.) का ज्ञापन क्रमांक/मण्डी/ज्ञापन/2020/248 दिनांक 13-08-2020 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव के भारसाधक अधिकारी श्री बालसिंह बघेल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कोण्डागांव का स्थानांतरण जिला नारायणपुर होने का उल्लेख करते हुए उनके स्थान पर श्री उग्रेष कुमार देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कोण्डागांव को कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव का भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने प्रस्ताव दिया गया है.

अतः छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा श्री बालसिंह बघेल, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, कोण्डागांव के स्थान पर श्री उग्रेष कुमार देवांगन, अनुविभागीय अधिकारी, कृषि कोण्डागांव को उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मंडी समिति कोण्डागांव, जिला कोण्डागांव (छ.ग.) का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

(पी. अरूण प्रसाद)

प्रबंध संचालक.